सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 261 राँची, गुरुवार, 1 वैशाख, 1938 (श०) / 21 अप्रैल, 2016 (ई०)

## उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

(खान एवं भूतत्व प्रभाग)

----------

### अधिसूचना

21 अप्रैल, 2016

**संख्या-ख०नि०(विविध)-76/2015-1015--एम०**, राँची, दिनांक 21 अप्रैल, 2016, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, (संशोधन अधिनियम, 2015) की धारा-9B में उल्लेखित प्रावधान अन्तर्गत गठित जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नांकित संशोधन करते हैं ।

1. **(क)** यह "झारखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (संशोधन) **2016**" कहलायेगी ।

   **(ख)** यह संशोधन झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. उपरोक्त ट्रस्ट के कंडिका-8 एवं कंडिका-10 को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

कंडिका-8 " जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट को संलग्न मानक विलेख के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव/उप सचिव एवं सदस्य सचिव (उप विकास आयुक्त) के बीच निबंधित विलेख निष्पादित किए जायेंगे एवं यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 की तिथि से अस्तित्व में आया हुआ माना जाएगा ।"

कंडिका-10 " जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट दिनांक-12 जनवरी, 2015 के प्रभाव से अस्तित्व में आया हुआ माना जाएगा ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
**आनन्द मोहन ठाकुर,**
सरकार के संयुक्त सचिव ।

------------

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 261—50 ।